सरप्लस स्टाफ से सम्बन्धित शासनादेश

संख्या–20/1/91-का-2/2008

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ दिनांक 22 सितम्बर, 2008

विषय–भर्ती/नियुक्तियों के संबंध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवारत कार्मिकों की सेवा का समुचित उपयोग एवं अभियोजन (Deployment) उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के लिये अनिवार्य है। अतः कार्मिकों के अभिनियोजन के लिये शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(1) वर्तमान में राजकीय विभागों एवं कार्यालयों में सरप्लस स्टाफ उपलब्ध है। इस सरप्लस स्टाफ का उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष समायोजन किया जाय। तत्पश्चात ही नयी नियुक्तियाँ की जाय।

(2) विभिन्न विभागों में सरप्लस स्टाफ को चिन्हित करने के लिये निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया है :–

प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग–	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी–	सदस्य
सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य

नियोजन विभाग, समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। सरप्लस स्टाफ चिन्हित करने के लिये समिति द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जायेगा :–

(क) समय के भीतर परिवर्तित परिस्थितियों में पदों में सृजन हेतु निर्धारित मानक/औचित्य/आवश्यकता।

(ख) किसी योजना/कार्यक्रम के समाप्ति के उपरान्त विद्यमान पद/स्टाफ

(ग) केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की समाप्ति के पश्चात विद्यमान पद/स्टाफ

समिति को यह अधिकार होगा कि वह शासन के किसी भी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा अन्य किसी अधिकारी को समिति के सहायतार्थ आमंत्रित कर सकेंगी।

(3) समिति द्वारा चिन्हित सरप्लस स्टाफ का विवरण नियोजन विभाग द्वारा विभागवार सूचीबद्ध किया जायेगा एवं नियोजन विभाग के अन्तर्गत 'सरप्लस स्टाफ पूल' गठित किया जायेगा। 'सरप्लस स्टाफ पूल' में नियुक्त किये जाने वाले स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

(4) समय-समय पर विभाग में घटित होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये आवश्यक प्रस्ताव सर्वप्रथम नियोजन विभाग के अन्तर्गत गठित 'सरप्लस स्टाफ पूल' को प्रेषित किये जायेंगे। 'सरप्लस स्टाफ पूल' से उपलब्ध स्टाफ के समायोजन के उपरान्त ही रिक्तियों को भरने पर विचार किया जायेगा।

2–उपर्युक्त व्यवस्था से निम्नलिखित कार्यवाहियां प्रभावित नहीं होंगी :–

(1) लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चयन व उनके आधार पर नियुक्तियां।

(2) माननीय उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाने वाली भर्ती / नियुक्तियां।

(3) उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के अधीन नियुक्तियां।

(4) आरक्षित वर्ग के बैकलाग रिक्तियों पर विशेष चयन का आयोजन तथा उसके आधार पर नियुक्तियां।

(5) राजस्व ग्रामों में पंचायती राज विभाग द्वारा सेवा नियमावली के अधीन की जा रही सफाईकारों की नियुक्तियां।

(6) सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नतियाँ।

(7) सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से हुई तदर्थ / दैनिक वेतन नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावलियों के तहत विनियमितिकरण।

(8) पुलिस विभाग, अग्नि शमन विभाग, होमगार्ड्स एवं अन्य सशस्त्र बलों में की जाने वाले भर्ती।

3–अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशों का तद्नुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।

संख्या–20 / 1 / 91(1)–का–2 / 2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
एस0 एन0 प्रसाद,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0 ए0पी0 9 सा0 नियुक्ति–3–10–2008–(1244)–2000 प्रतियां–(कम्प्यू0टी0 / आफसेट)।

9 Sa. Niyukti-Data 2